कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 273/2026 **प्रेस विज्ञप्ति** दिनांक- 13.07.2026

थाना : कोतवाली, जनपद आजमगढ़

₹25,000 का इनामी अंतर्राज्यीय ठगी गिरोह का सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त से हुई पूछताछ के आधार पर मिली बड़ी सफलता

ग्रहदोष दूर करने एवं धर्म-कर्म का झांसा देकर महिलाओं से आभूषण ठगने वाले गिरोह का एक और सदस्य पुलिस के शिकंजे में, दो ठगी की घटनाओं का सफल अनावरण

कोतवाली पुलिस की प्रभावी कार्रवाई से अंतर्राज्यीय ठगी गिरोह का पर्दाफाश, पूर्व में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद दूसरे इनामी अभियुक्त की गिरफ्तारी से 02 घटनाओं का हुआ खुलासा

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री मधुबन कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री शुभम तोदी के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली पुलिस ने ₹25,000 के पुरस्कार घोषित अंतर्राज्यीय ठगी गिरोह के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त के कब्जे से ठगी में प्रयुक्त सामग्री एवं नकदी बरामद करते हुए उसके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 07.02.2026 को वादिनी आशा पत्नी रामप्रवेश, निवासी ग्राम छतौरा, थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ (हाल पता काली चौरा, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़) द्वारा थाना कोतवाली पर लिखित तहरीर दी गई कि शंकर तिराहा, सिधारी स्थित ग्रैंड एसआर होटल के समीप दो अज्ञात व्यक्तियों ने परिवार पर ग्रहदोष एवं अशुभ प्रभाव का भय दिखाकर उन्हें विश्वास में लिया तथा ग्रहदोष दूर करने के बहाने उनकी सोने की चेन, अंगूठी एवं ₹2,000 नकद लेकर फरार हो गए। इस संबंध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 41/2026, धारा 318(4), 317(2), 317(4), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान गिरोह के एक सदस्य लईक उर्फ लकी को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका था, जबकि शेष अभियुक्तों की तलाश जारी थी।

गिरफ्तारी का विवरण-

इसी क्रम में दिनांक 13.07.2026 को प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय मय पुलिस टीम एवं मुखबिर की सूचना पर आजमगढ़ रोडवेज प्राइवेट बस अड्डा पहुंचे, जहां मुकदमा उपरोक्त से संबंधित ₹25,000 के इनामी अभियुक्त हुसैनू पुत्र नजरूद्दीन नि0 ठण्डा नाला गूलर भोज थाना गदरपुर जनपद उद्यमसिंह नगर उत्तराखण्ड उम्र 45 वर्ष को समय करीब 10:40 बजे गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से ₹400 नकद, आभूषण साफ करने वाले केमिकल से भरी एक प्लास्टिक की शीशी तथा 10 विभिन्न रंगों के नग (पत्थर) बरामद किए गए। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. हुसैनू पुत्र नजरूद्दीन नि0 ठण्डा नाला गूलर भोज थाना गदरपुर जनपद उद्यमसिंह नगर उत्तराखण्ड उम्र 45 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

₹400 नगद

आभूषण साफ करने वाले केमिकल से भरी 01 प्लास्टिक की शीशी

10 अदद विभिन्न रंगों के नग (पत्थर)

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त ने स्वीकार किया कि वह अपने साथियों सैफ अली खाँ, इमरान एवं लईक उर्फ लकी के साथ मिलकर अंतर्राज्यीय ठगी गिरोह संचालित करता है। गिरोह के सदस्य विभिन्न राज्यों में घूमकर विशेष रूप से अधेड़ एवं वृद्ध महिलाओं को धर्म-कर्म, ग्रहदोष एवं पूजा-पाठ का भय दिखाकर विश्वास में लेते थे तथा उनके सोने-चांदी के आभूषण एवं नकदी छलपूर्वक लेकर फरार हो जाते थे। अभियुक्त ने यह भी स्वीकार किया कि दिनांक 06 एवं 07 फरवरी 2026 को गिरोह के चारों सदस्य आजमगढ़ आए थे। 06 फरवरी को बेलइसा सब्जी मंडी क्षेत्र तथा 07 फरवरी को लाइफ लाइन हॉस्पिटल के समीप दो महिलाओं से ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। ठगी के बाद आभूषण बेचकर प्राप्त धनराशि आपस में बांट ली। अभियुक्त के हिस्से में लगभग ₹35,000 आए थे, जिनमें से अधिकांश खर्च हो चुके हैं तथा शेष ₹400 उसकी तलाशी में बरामद हुए।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 41/2026, धारा 318(4), 317(2), 317(4), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 27/2026, धारा- 318(4), 319(2) बीएनएस, थाना- रानी की सराय, जनपद- आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0- 41/2026, धारा- 318(4), 317(2), 317(4), 3(5) बीएनएस, थाना- कोतवाली, जनपद- आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0- 32/2023, धारा- 406, 411, 420 भा.दं.सं., थाना- पिपरी, जनपद- सोनभद्र।
4. मु0अ0सं0- 85/2023, धारा- 406, 420, 467, 468, 471, 506, 120-बी भा.दं.सं., थाना- रॉबर्ट्सगंज, जनपद- सोनभद्र।
5. मु0अ0सं0- 191/2023, धारा- 3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना- रॉबर्ट्सगंज, जनपद- सोनभद्र।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय
उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी, चौकी प्रभारी रोडवेज
रि0 कां0 सचिन कुमार मिश्रा
रि0 कां0 मनीष सिंह
रि0 म0 कां0 प्रियंका सिंह
हे0 कां0 अभय कुमार सिंह
कां0 अंशुमान सिंह
कां0 आदित्य कुमार

थाना : कोतवाली, जनपद आजमगढ़

कोतवाली पुलिस ने अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस के साथ महाराष्ट्र के हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को किया गिरफ्तार

मुखबिर की सूचना पर हाफिजपुर चौराहे के पास हुई कार्रवाई, शस्त्र अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री मधुबन कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री शुभम तोदी के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली पुलिस को अवैध शस्त्र के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 12.07.2026 को थाना कोतवाली पर तैनात उपनिरीक्षक मिथिलेश कुमार प्रजापति (चौकी प्रभारी बलरामपुर) अपनी पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में भ्रमणशील एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अवैध असलहा लेकर हाफिजपुर चौराहे से बद्दोपुर जाने वाले मार्ग पर मौजूद है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई तथा रात्रि 11:20 बजे अभियुक्त अबू तालिब शेख पुत्र अफाक अहमद शेख, निवासी संजय गांधी नगर, जमशेद जी. जी. भाय रोड, नार्थ सेंट्रल रेलवे कम्पाउंड, थाना सर जे.जे.

मार्ग, जिला बृहन्मुंबई, महाराष्ट्र उम्र लगभग 35 वर्ष को नियमानुसार हिरासत में लेकर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा .315 बोर तथा एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 374/2026, धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
अबू तालिब शेख पुत्र अफाक अहमद शेख, निवासी संजय गांधी नगर, जमशेद जी. जी. भाय रोड, नार्थ सेंट्रल रेलवे कम्पाउंड, थाना सर जे.जे. मार्ग, जिला बृहन्मुंबई, महाराष्ट्र उम्र लगभग 35 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

01 अदद देशी तमंचा (.315 बोर)
01 अदद जिंदा कारतूस (.315 बोर)

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 374/2026, धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

आपराधिक इतिहास-

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य में निम्नलिखित आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं—

1. मु0अ0सं0 13/2025, धारा 331(2), 126(2), 115(2), 352, 351(2), 3(5) बीएनएस, थाना सर जे.जे. मार्ग, जिला बृहन्मुंबई, महाराष्ट्र।
2. मु0अ0सं0 119/2026, धारा 352, 74, 79 बीएनएस, थाना सर जे.जे. मार्ग, जिला बृहन्मुंबई, महाराष्ट्र।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 मिथिलेश कुमार प्रजापति, चौकी प्रभारी बलरामपुर
उ0नि0 उदयशंकर तिवारी
कांस्टेबल सुमित कुमार
कांस्टेबल भूपेन्द्र मिश्रा
कांस्टेबल जितेन्द्र कुमार
कांस्टेबल पंकज शर्मा
कांस्टेबल भवरनाथ
कांस्टेबल सचिन मिश्रा

जनपद : आजमगढ़

मिशन शक्ति अभियान के तहत थाना निजामाबाद क्षेत्र में 'बहू-बेटी सम्मेलन' आयोजित कर महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा, अधिकारों एवं आत्मनिर्भरता के प्रति किया गया जागरूक

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश महोदय के आदेशानुसार तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं के सम्मान, सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के उद्देश्य से संचालित मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत थाना निजामाबाद क्षेत्र में क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती आस्था जायसवाल के पर्यवेक्षण में थाना निजामाबाद की मिशन शक्ति टीम द्वारा 'बहू-बेटी सम्मेलन' का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक करते हुए विभिन्न जनजागरूकता पम्पलेट भी वितरित किए गए।

➡ सम्मेलन के दौरान महिलाओं एवं किशोरियों को महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं हेल्पलाइन सेवाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। उन्हें वूमेन पावर लाइन-1090, आपातकालीन सेवा-112, साइबर हेल्पलाइन-1930 तथा चाइल्ड हेल्पलाइन-1098, 181 महिला हेल्प लाईन के संबंध में जानकारी देते हुए आवश्यकता पड़ने पर इन सेवाओं का तत्काल उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया।

☐ कार्यक्रम में मिशन शक्ति अभियान के उद्देश्यों, महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता, स्वयं सहायता समूहों की भूमिका, बाल स्वास्थ्य एवं पोषण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही बालिकाओं एवं किशोरियों को छेड़छाड़, लैंगिक उत्पीड़न, साइबर अपराध, बाल सुरक्षा, पॉक्सो अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों, सुरक्षित व्यवहार तथा घर से भागने के कानूनी एवं सामाजिक दुष्परिणामों के संबंध में जागरूक करते हुए किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल पुलिस से संपर्क करने का आह्वान किया गया।

☐ आजमगढ़ पुलिस महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं अधिकारों के संरक्षण के लिए निरंतर जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रही है तथा भविष्य में भी मिशन शक्ति अभियान के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग तक सुरक्षा एवं जागरूकता का संदेश पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

पुलिस लाइन, आजमगढ़

अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री चिराग जैन ने 54 ताइक्वांडो खिलाड़ियों को पहनाई कलर बेल्ट, प्रमाण-पत्र देकर किया सम्मानित

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार की खेल पहल से पुलिस लाइन में तैयार हो रही नई खेल प्रतिभाएँ

उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो संघ की परीक्षा में सफल खिलाड़ियों का हुआ सम्मान, 100 बच्चे ले रहे नियमित प्रशिक्षण

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार (आईपीएस) की प्रेरणा एवं निर्देशन में पुलिस लाइन आजमगढ़ में संचालित खेल गतिविधियाँ लगातार नई उपलब्धियाँ अर्जित कर रही हैं। लगभग दस माह पूर्व प्रारम्भ किए गए ताइक्वांडो प्रशिक्षण का परिणाम अब खिलाड़ियों की सफलता के रूप में सामने आने लगा है।

➡☐ पुलिस लाइन परिसर में आयोजित एक सम्मान समारोह में उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो संघ के तत्वावधान में आयोजित कलर बेल्ट परीक्षा में सफल 54 खिलाड़ियों को अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री चिराग जैन द्वारा कलर बेल्ट पहनाकर एवं प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। समारोह में खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्होंने कहा कि निरंतर अभ्यास, अनुशासन और आत्मविश्वास के बल पर खिलाड़ी ब्लैक बेल्ट प्राप्त कर जनपद, प्रदेश एवं देश का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि पुलिस परिवार के बच्चों की यह उपलब्धि पूरे आजमगढ़ पुलिस परिवार के लिए गर्व का विषय है।

☐ पुलिस लाइन में वर्तमान समय में लगभग 100 बालक एवं बालिकाएँ नियमित रूप से ताइक्वांडो का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। कलर बेल्ट परीक्षा में सफल खिलाड़ियों में रेड-वन बेल्ट प्राप्त करने वाली सृष्टि पाठक, गौरवी गुप्ता, परिधि गुप्ता एवं श्रेया यादव सहित ग्रीन बेल्ट एवं येलो बेल्ट श्रेणी के अनेक खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया।

☐ कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि कुछ सप्ताह पूर्व आयोजित कलर बेल्ट परीक्षा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अनुभवी प्रशिक्षकों की देखरेख में सम्पन्न कराई गई थी। पुलिस लाइन में खिलाड़ियों को ताइक्वांडो कोच सुनील कुमार शिंदे (ब्लैक बेल्ट, 3rd डान, साउथ कोरिया) के निर्देशन में नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिससे बच्चों की तकनीकी दक्षता एवं आत्मरक्षा कौशल निरंतर विकसित हो रहे हैं।

यह कार्यक्रम प्रतिसार निरीक्षक श्री रजनीकांत ओझा के पर्यवेक्षण में सम्पन्न हुआ। समारोह में प्रशिक्षकों, पुलिस अधिकारियों, पुलिस परिवार के सदस्यों एवं खिलाड़ियों की उपस्थिति रही।

➡☐ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार ने सभी सफल खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि आजमगढ़ पुलिस भविष्य में भी पुलिस परिवार के बच्चों को खेलों के क्षेत्र में बेहतर अवसर एवं उच्चस्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराती रहेगी, ताकि वे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें।

थाना : महराजगंज, जनपद आजमगढ़

• घर में घुसकर मारपीट एवं गंभीर चोट पहुंचाने के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, महराजगंज पुलिस की त्वरित कार्रवाई

• एसएसपी डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत 24 घंटे के भीतर नामजद अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त में

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ **डॉ. अनिल कुमार** के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी सगड़ी के निर्देशन में **थानाध्यक्ष महराजगंज श्री जयप्रकाश** के नेतृत्व में थाना महराजगंज पुलिस ने मारपीट एवं गंभीर चोट पहुंचाने के मुकदमे में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

पूर्व की घटना

दिनांक **12.07.2026** को वादी **चन्द्रप्रसाद यादव** पुत्र रामलाल यादव, निवासी ग्राम देवारा जदीद (सतई का पुरा), थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना महराजगंज पर लिखित तहरीर दी गई कि विपक्षीगण **1. चन्द्रभान यादव, 2. चन्द्रशेखर, 3. इन्द्रेश यादव, 4. वन्दना एवं 5. गिरजा देवी** ने एकराय होकर वादी के घर में घुसकर उसके पुत्र **प्रेमचन्द्र यादव**, पुत्री **अंशिका** तथा पत्नी **सुशीला देवी** के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की नीयत से हमला किया। घटना में वादी की पत्नी एवं पुत्री बेहोश हो गई तथा पुत्र एवं पत्नी के हाथ में गंभीर चोट (फ्रैक्चर) आई।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना महराजगंज पर **मु0अ0सं0 168/2026**, धारा **3(5), 109(1), 110, 115(2), 117(2), 333, 352, 351(3) बीएनएस** बनाम पांच नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक **पवन कुमार सिंह** द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण

वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक **13.07.2026** को **थानाध्यक्ष जयप्रकाश** के नेतृत्व में **उपनिरीक्षक पवन कुमार सिंह** एवं **आरक्षी मातेश्वरी प्रसाद** द्वारा क्षेत्र में चेकिंग एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर **इंडेन गैस एजेंसी, देवारा जदीद (सतई का पुरा)** के पास से मुकदमे में वांछित अभियुक्त **इन्द्रेश यादव** को समय **11:05 बजे** गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी के समय अभियुक्त को उसके विधिक अधिकारों से अवगत कराया गया तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पूर्णतः पालन करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त

इन्द्रेश यादव पुत्र चन्द्रभान यादव, निवासी ग्राम देवारा जदीद (सतई का पुरा), थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़।
उम्र लगभग **22 वर्ष**।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0- 168/2026, **धारा- 3(5), 109(1), 110, 115(2), 117(2), 333, 352, 351(3) बीएनएस**, **थाना- महराजगंज**, **जनपद- आजमगढ़।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- थानाध्यक्ष **जयप्रकाश,** उ0नि0 **पवन कुमार सिंह,** रि0का0 **मातेश्वरी प्रसाद थाना- महराजगंज**, **जनपद- आजमगढ़।**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक **डॉ. अनिल कुमार** के निर्देशन में जनपद आजमगढ़ पुलिस अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु विशेष अभियान निरंतर जारी है तथा कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

ऑपरेशन वज्रपात
थाना : निजामाबाद, जनपद आजमगढ़

• ऑपरेशन वज्रपात के तहत सोशल मीडिया पर भड़काऊ एवं आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर थाना निजामाबाद पुलिस की सख्त कार्रवाई
• थाना परिसर के सामने फोटो खींचकर आपत्तिजनक संगीत के साथ पोस्ट कर पुलिस की छवि धूमिल करने एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास, दो युवकों का बीएनएसएस की धाराओं में चालान

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ **डॉ. अनिल कुमार** के निर्देशन में जनपद में संचालित **"ऑपरेशन वज्रपात"** के अंतर्गत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक, भड़काऊ एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों के विरुद्ध सतत निगरानी एवं प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना निजामाबाद पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट कर पुलिस की छवि धूमिल करने तथा आमजनमानस की भावनाओं को आहत करने का प्रयास करने वाले युवकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

घटना का विवरण
सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान थाना निजामाबाद पुलिस के संज्ञान में आया कि कुछ युवकों द्वारा **थाना निजामाबाद परिसर के सामने फोटो खींचकर** उसे **इंस्टाग्राम** पर आपत्तिजनक एवं भड़काऊ संगीत के साथ पोस्ट किया गया है। उक्त पोस्ट का उद्देश्य पुलिस की छवि धूमिल करना तथा आमजनमानस में भ्रम एवं असंतोष की स्थिति उत्पन्न करना प्रतीत हुआ, जिससे क्षेत्र की कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना थी।

जांच एवं पुलिस कार्रवाई
प्रभारी निरीक्षक **राकेश कुमार सिंह** के नेतृत्व में की गई जांच के दौरान संबंधित इंस्टाग्राम आईडी एवं उनके संचालकों की पहचान की गई। जांच में निम्नलिखित आईडी संचालित होना प्रकाश में आया—

- **Instagram ID – "samajwadi_rohit_am_0818"**
- **Instagram ID – "mr_siddhu_4u"**

उक्त आईडी संचालित करने वाले **सिद्धान्त यादव (उम्र लगभग 22 वर्ष)** एवं **रोहित यादव (उम्र लगभग 24 वर्ष)** पुत्रगण बाकेलाल यादव, निवासी ग्राम कुजियारी, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ को चिन्हित किया गया। दोनों युवकों को थाना बुलाकर पूछताछ की गई तथा भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई।

सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर शांति व्यवस्था प्रभावित करने एवं पुलिस की छवि धूमिल करने का प्रयास किए जाने पर दोनों के विरुद्ध **धारा 170/126/135 बीएनएसएस** के अंतर्गत विधिक कार्रवाई करते हुए चालान किया गया।

आजमगढ़ पुलिस की अपील
आजमगढ़ पुलिस आमजन से अपील करती है कि सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी एवं कानून के दायरे में रहकर करें। किसी भी प्रकार की भड़काऊ, आपत्तिजनक, असत्य अथवा कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली पोस्ट, वीडियो, रील अथवा संदेश प्रसारित न करें। सोशल मीडिया पर की गई प्रत्येक गतिविधि पुलिस की निगरानी में है। कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध **"ऑपरेशन वज्रपात"** के अंतर्गत भविष्य में भी इसी प्रकार कठोर एवं प्रभावी वैधानिक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

जनपद : आजमगढ़

रात्रिकालीन विशेष अभियान में आजमगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 32 गैरजमानती वारंटियों को गिरफ्तार -कर न्यायालय के आदेशों का कराया प्रभावी अनुपालन

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ **डॉ. अनिल कुमार** के निर्देशन में न्यायालयों द्वारा निर्गत **गैर-जमानती वारंटों (NBW)** के शत-प्रतिशत अनुपालन एवं वांछित वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु जनपद में विशेष अभियान लगातार संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में **अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री मधुबन कुमार सिंह** एवं **अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री चिराग जैन** के पर्यवेक्षण में दिनांक **12 जुलाई, 2026** की रात्रि में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में विशेष रात्रिकालीन अभियान चलाया गया।

अभियान प्रारम्भ होने से पूर्व दोनों पुलिस अधीक्षकों द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारियों, थाना प्रभारियों एवं गठित पुलिस टीमों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए न्यायालयों द्वारा निर्गत गैर-जमानती वारंटों का समयबद्ध एवं प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके उपरांत पुलिस टीमों ने अपने-अपने थाना क्षेत्रों में वारंटियों के संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश देकर गिरफ्तारी की कार्रवाई की।

अभियान के दौरान **जनपद आजमगढ़ से कुल 32 गैर-जमानती वारंटियों** को गिरफ्तार किया गया। थानावार कार्रवाई के अंतर्गत **रानी की सराय व मुबारकपुर से 07-07, गम्भीरपुर से 05, कोतवाली से 04, अतरौलिया से 03, अहरौला से 02 तथा सिधारी, कंधरापुर, जहानागंज एवं जीयनपुर से 01-01 वारंटी** को गिरफ्तार कर नियमानुसार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की विधिक कार्रवाई की गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक **डॉ. अनिल कुमार** ने बताया कि न्यायालयों द्वारा निर्गत वारंटों का त्वरित एवं प्रभावी निष्पादन आजमगढ़ पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने वाले वारंटियों एवं कानून से बचने का प्रयास करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार विशेष अभियान निरंतर चलाए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनपद में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने तथा न्यायिक आदेशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आजमगढ़ पुलिस पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।